न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 118/12

<u>संस्थित दिनाँक-16.03.2012</u>

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद जिला–भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- 1. कलियान सिंह पुत्र सरमन सिंह भदौरिया उम्र 31 साल निवासी ग्राम सिरसी थाना अमायन जिला भिण्ड
 - मायाराम पुत्र दाताराम कुशवाह उम्र 25 साल निवासी गंगादास का पुरा थाना गोहद जिला भिण्ड हल्के पुत्र शिवदयाल जाटव उम्र 27 साल निवासी कामर थाना जिगना जिला दतिया म0प्र0
- <u>रार घोषित</u> ४. बंटी पुत्र कप्तान सिंह कुशवाह उम्र 33 साल निवासी ग्रांम रघुनाथ सिंह का पुरा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड**अभियुक्तगण**

<u>—ः निर्णय ः—</u> {आज दिनांक 27.11.17 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 18.01.12 को रात करीब 3:00 बजे स्थान जबानसिंह के ट्यूबेल से उसके स्वामित्व की भैस को सदोष लाभ प्राप्त कर बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए चुराकर चोरी की।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि अभियुक्त कमांक 03 हल्के एवं अभियुक्त कमांक 04 बंटी को द0प्र0सं0 की धारा 299 के अधीन फरार घोषित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रथक की गई है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 17—18 जनवरी 2012 के रात के करीब 3:00 बजे फरियादी जबानिसंह के पिता अहिवरन का गंगादास के पुरा स्थित ट्यूबेल से फोन आया कि भैंस को टीनसेट में बांधी थी, उसे चोर चुरा ले गया फिर उसी समय फरियादी पानिसंह, गजेन्द्र सिंह को लेकर गंगादास का पुरा पहुंचा तो पिता के बताये अनुसार भैंस के खुरों की निशान को देखते हुए भैंसों की खोज की तो चार चोर उसकी भैंस को ले जाते हुए धमसा एवं परावन के बीच दिखे, जिनका पीछा कर कलियान सिंह एवं हल्के जाटव पकड़ लिया। बंटी एवं मायाराम भैंस को छोड़कर भाग गये। कलियान सिंह व हल्के को लेकर थाने आये और रिपोर्ट की जिसके आधार पर अपराध क0 12/2012 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान जब्दी पत्रक, गिरफ्तारी पत्रक

बनाये गये, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेख किये गये। बाद अनुसंधार अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण ने दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर निर्दोष होना तथा रंजिशन झूंटा फंसाया जाना बताया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -
 - 1. क्या दि0 17-18 जनवरी 2012 की रात्रि करीब 3:00 बजे फरियादी जवानसिंह के दूयबेल नामक स्थान से उसके स्वामित्व की भैंसे चोरी हुई ?
 - 2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी की भैंसे बेईमानी पूर्ण आशय से हटाकर सदोष लाभ प्राप्त करने के आशय से चोरी की।

<u>-:: सकारण निष्कर्ष ::-</u>

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में जवानसिंह अ०सा० 1, शिवकुमार शर्मा अ०सा० 2, पानसिंह अ०सा० 3, एन०सी० यादव अ०सा० 4 तथा गजेन्द्र सिंह अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया। प्रकरण में अभियुक्त मायाराम ने स्वयं को बचावसाक्षी के रूप में प्रस्तुत किया।

-:: विचारणीय प्रश्न 01 का निष्कर्ष ::-

- 7. फरियादी जवानसिंह अ०सा० ०१ अपने अभिसाक्ष्य में में यह कथन करते है कि घटना साढे चार—पांच साल पहले सर्दियों के रात्रि के समय की है। उनके पिता अहिवरन सिंह का गंगादास का पुरा ट्यूबेल से फोन आया था कि टीनसेट से भैस चोरी चली गई है। उसके बाद वह और उसका छोटा भाई पानसिंह और गजेन्द्र सिंह तीनो ही रात को ट्यूबेल पर पहुचे, उसके बाद वे लोग भैंस के पैरो के निशान से ग्राम धमसा और परावन के बीच पहुंचे। वहां पर अभियुक्त मायाराम, किलयान, हल्के व बंटी भैंस को लिये मिले थे। बंटी और मायाराम भाग गये थे तथा दो लोगों को उसने पकड़ लिया था। उसके बाद उन लोगों ने बंटी और मायाराम को सरसों में खोजा लेकिन नहीं मिले। इसके बाद किलयान सिंह और हल्के को पकड़कर गोहद थाना लाये थे। उन्होंने रिपोर्ट प्र०पी० ०१ की थी जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर होना बताते हैं। नक्शामौका प्र०पी० ०२ पर भी हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।
- 8. पानिसंह अ0सा0 03 अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी जवानिसंह अ0सा0 01 के कथन की पुष्टि करते हुए बताते हैं कि उनके पिता अहिवरनिसंह का रात तीन बजे फोन आया कि घर से भैंस छूट गई, कोई ले गया है। तब वे तुरंत खेत पर गये, जहां टीनसेट के नीचे पिता ने भैंस बांधी थी इसके

बाद भैंस के खुर देखते—देखते ग्राम परावन पहुंच गये। वहां भैंस चोरी करने वाले भैंस को ले जा रहे थे, उस समय उजाला हो गया था। वे भैंस को पकड़ने के लिए दौड़े तो चार आदिमयों मे से दो आदिमी भाग गये, जो लोग पकड़े गये उनमें से एक मायाराम कुशवाह और दूसरा किलयान था। बंटी और हल्के भाग गये। व्यक्तियों के रूप में पकड़े गये अभियुक्तगण ने बताये थे। गजेन्द्र अ०सा० 05 अपने दोनों भाईयों के समान ही कथन करता है और बताता है कि पिता अहिवरन की भैंस बिगया में बंधी थी, जिसे चोर चुरा ले गये। जब पिता का फोन आया तब उसने, जवानिसंह और पानिसंह ने खोज की तो ग्राम पर्रावन में भैंस को पकड़ लिया था। वहां एक अभियुक्त मायाराम को पकड़ लिया था जिसने भैंसे चुराई थी।

प्रकरण में उक्त तीनो साक्षी यह कथन करते हैं कि उनकी पिता की भैंस को गंगादास पुरा स्थित ट्यूबेल / बिगया से चुराया गया था। जवानसिंह अ०सा० ०१ नक्शा मौका प्र०पी० ०२ में वह स्थान टीनसेट बताते हैं जहां से भैंस चोरी की गई। घटना के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 18.01.2012 को प्र0पी0 01 के रूप में किया जाना जिस पर जवानसिंह अ0सा0 01 द्वारा ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। शिवकुमार अ०सा० ०२ दिनांक ०८.०१.२०१२ को थाना गोहद में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ होने का कथन करते हुए बताते हैं कि फरियादी जवानसिंह द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध प्र0पी0 01 की रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिस पर अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होने का तथ्य प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में यद्यपि अभियोजन का ऐसा चक्षुदर्शी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो अभियुक्तगण या उनके द्वारा उक्त भैंस को बांधे गये स्थान से खोलने के संबंध में कथन करता हो। अहिवरन सिंह को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका। किन्तु दिनांक 08.01.2012 को थाना गोहद में उक्त भैंस के जब्त होने के संबंध में जब्ती पत्रक प्र0पी0 03 तथा सुपुर्दगी पर फरियादी को दिये जाने के संबंध में सुपूर्दगीनामा प्र0पी0 06 की पृष्टि जवानसिंह अ0सा0 01 द्वारा ए से ए भाग पर हस्ताक्षर एवं पानसिंह अ०सा० ०३ द्वारा बी से बी भाग पर हस्ताक्षर बताकर प्रमाणित किया है। अभिकथित भैंस चोरी होने के तथ्य को अभियुक्तगण की ओर से खंडित नहीं किया जा सका है ऐसी दशा में यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 17.01.2012–18.01.2012 की दरमियानी रात फरियादी जवानसिंह की भैंस चोरी हुई थी।

<u>—:: विचारणीय प्रश्न 02 का निष्कर्ष ::—</u>

10. फरियादी जवान सिंह अ०सा० 01 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे लोग भैंस के पैरो के निशान से ग्राम धमसा और पर्रावन के बीच पहुंचे, वहां पर अभियुक्तगण भैंस लिये मिलें। तब बंटी और मायाराम भाग गये। उन्होंने शेष दों लोगों को पकड़ लिया। जिनके संबंध में यह कथन करता है कि उन्हें कलियान सिंह व हल्के को पकड़कर थाना गोहद लाये थे। उनके गिरफ्तारी पत्रक क0 04 व 05 के रूप में बनाये जाने जिन पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।

पानिसंह अ0सा0 03 अपने अभिसाक्ष्य में थोड़ा भिन्न कथन करते हुए बताते हैं कि ग्राम पर्रावन जब वे लोग पहुंचे तो भैंस को चोरी करने वाले भैंस ले जा रहे थे, उस समय उजाला हो गया था। वे भैंस को पकड़ने के लिए दौड़े तो भैंस को ले जा रहे चार लोगों में से दो लोग भाग गये। जो व्यक्ति पकड़ने गये उनमें से एक का नाम मायाराम निवासी गंगादास का पुरा तथा दूसरा कलियान निवासी सरसई का होना बताता है। तथा बंटी एवं हल्के के भाग जाने का कथन करता है। तत्पश्चात् थाने लाकर उन्हें गिरफ्तार कराने का कथन करता है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचन प्रश्नों में अभियुक्त कलियान के अतिरक्ति अभियुक्त हक्ले को पकड़ लाने का सुझाव दिया जिसे साक्षी द्वारा इनकार किया गया। गजेन्द्र अ0सा0 05 भी अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करता है जब वे भैंस को पानिसंह और जवान सिंह के साथ ढूढ़ रहे थे तो ग्राम पर्रावन के सरपंच को फोन जवान सिंह के पास आया कि उन्होंने भैंस और अभियुक्त मायाराम को पकड़ लिया है। अभियुक्त मायाराम ने ही भैंस चुराई थी। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर दिया गया। जिसमें साक्षी इस सुझाव से इनकार करता है कि जिन लोगों को उन लोगों ने पकड़ा वे कलियान और हल्के थे। इस तथ्य से इनकार करता है कि जो चोर भैंस छोड़कर भाग गये वे बंटी और मायाराम थे। साक्षी अपने पुलिस कथन प्र0पी0 08 के संबंध में ए से ए भाग का कथन दिये जाने से इनकार करते हैं।

11. प्रकरण में अभियोजन से तीनों साक्षी अभिकिथित भैंस के साथ पकड़े गये व्यक्तियों के संबंध में विरोधाभासी कथन कर रहे हैं। फिरियादी जवानिसंह अ0सा0 01 प्रतिपरीक्षण की किण्डका 04 में बताता है कि भैंस को सुबह 7–8 बजे के आसपास पकड़ा था और थाने पर करीब 5 बजे आये थे। पानिसंह प्रतिपरीक्षण की किण्डका चार में ही भैंस को दिन में करीब 9 बजे पकड़ लेने और बाद में ग्राम पर्रावन से गोहद भैंस को मेटाडोर में लांदकर साथ में दो आरोपीगण को पकड़कर लाने का कथन करते हैं। इस प्रकार से उक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य से भैंस को सुबह के समय उजाले में पकड़ने के संबंध में कथन अभिलेख पर है। जवान सिंह अ0सा0 01 प्रतिपरीक्षण की किण्डका 05 में यह कथन करता है कि वह अभियुक्त किलयान को पहले से नहीं जानता था। जब भैंस को पकड़ा तब से जानता है। अभियुक्त मायाराम के संबंध में साक्षी स्वीकार करता है कि अभियुक्त मायाराम पिता की कछवारी का काम करता है और उसकी जमीन फरियादी की जमीन के बगल से है एवं वहीं पर निवास बना है। इस प्रकार से अभियुक्त मायाराम से पहले से पहचान होने के तथ्य अभिलेख पर है। पानिसंह अ0सा0 03 भी प्रतिपरीक्षण की किण्डका 03 में स्वीकार करते है कि मायाराम और उसके पिता द्वारा बहुत पहले साक्षी के यहां खेती बटाई पर की जाती थी जबकि अभियुक्त किलयान सिंह के संबंध में इस सुझाव से इनकार करता है कि वह किलयान सिंह को नहीं जानता।

- 12. एन०सी० यादव अ०सा० ०४ अनुसंधानकर्ता हैं जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक ०८.०1.२०12 को थाना गोहद में पदस्थ थे। उत्तत दिनांक को अभियुक्त किलयान एवं हल्के को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० ०४ व ०५ बनाये थे। गिरफ्तारी पत्रक के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् अभियुक्त किलयान से एक काले रंग की भैंस जब्त कर जब्ती पत्रक प्र०पी० ०३ बनाये जाने का कथन करते हैं। तत्पश्चात् नक्शामौका प्र०पी० ०२ बनाये जाने का कथन करते हैं। तत्पश्चात् नक्शामौका प्र०पी० ०२ बनाये जाने का कथन करते हैं। साक्षी एन०सी० यादव अ०सा० ०४ के प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिया गया कि अभियुक्त किलयान थाने में उपस्थित था। इस सुझाव से अभियुक्त किलयान की जब्ती के समय उपस्थिति का तथ्य और अधिक समर्थित होता है। जवानसिंह अ०सा० ०१ को प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त किलयान सिंह की ओर से सुझाव दिया गया कि रंजिश के कारण उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। जिसे साक्षी द्वारा इनकार किया गया है। अभियुक्त किलयानसिंह से फरियादी की किस बात की रंजिश थी इस संबंध में कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं है। पानसिंह अ०सा० ०३ को भी यही सुझाव दिया गया जिसे उसके द्वारा इनकार किया गया। दांण्डिक विधि के अधीन रंजिश का बचाव प्रायः अभियुक्त की ओर से लिया जाता है किन्तु जब तक रंजिश के तथ्य के संबंध में कोई सारवान विश्वसनीय सार अभिलेख पर न हो तब तक अभियोजन का मामला यदि भलीमॉित साक्ष्य से समर्थित हो तो वह प्रमाणित होता है।
- 13. प्रकरण में फरियादी एवं साक्षी पानसिंह अ०सा० 03 दोनों के द्वारा अभियुक्त किलयान सिंह के पास भैंस मिलने और किलयान सिंह को थाने ले जाने के संबंध में तथ्य अभिलेख पर है। स्वयं किलयान सिंह की ओर से थाने में उपस्थिति का सुझाव अनुसंधानकर्ता को दिया जाना उसकी सुसंगत समय पर उपस्थिति की पुष्टि करता है। अभिकथित रंजिश के संबंध में मात्र सुझाव के अतिरिक्ति कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त की गिरफ्तारी यदि असत्य आधार पर की गई तो उसके द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा भी अभिलेख पर नहीं है। गिरफ्तारी के अगले दिन अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का तथ्य अभिलेख पर है। ऐसी दिशा में यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अभियुक्त किलयानसिंह के पास फरियादी की भैंस पाई गयी। ऐसी दशा में चुराई गई सम्पत्ति का कब्जा रखने वाला व्यक्ति उक्त कब्जे के आधार को स्पष्ट करने हेतु बाध्य है, अन्यथा यह तथ्य प्रमाणित होता है कि उसके द्वारा सम्पत्ति के चोरी की गई है अथवा चुराई गई सम्पत्ति को जानते हुए कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है, संधारित किया गया। प्रकरण में अभियुक्त किलयान के संबंध में फरियादी जवानसिंह एवं पानसिंह के अभिसाक्ष्य एवं अनुसंधानकर्ता एन०सी० यादव अ०सा० 04 की अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जाना का कोई आधार नहीं पाया जाता है।
- 14. प्रकरण में अभियुक्त मायाराम के संबंध में साक्षी जवानसिंह अ०सा० ०१ एवं पानसिंह अ०सा० ०३ तथा गजेन्द्र सिंह अ०सा० ०५ द्वारा परस्पर विरोधाभासी कथन किया गया है। जवानसिंह अ०सा०

01 जहां यह कथन करते हैं कि जब धमसा और पर्रावन के बीच पहुंचे तो वहां अभियुक्त मायाराम अन्य सह अभियुक्तगण सिहत भैंस लिये मिला और बंटी तथा मायाराम भाग गये तथा हल्के और किलयान सिंह को उन्होंने पकड़ लिया। तत्पचात् उन्हें थाने लाये थे। पानसिंह अ०सा० 03 बताता है कि उन्होंने मौके पर किलयान और मायाराम को पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ थाने लाये थे। तथा गजेन्द्र अ०सा० 05 यह कथन करता है कि मायाराम को उन्होंने पकड़ लिया था। पानसिंह अ०सा० 03 एवं गजेन्द्र सिंह अ०सा० 05 को अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त मायाराम को पकड़ लेने के संबंध में पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये तो साक्षियों द्वारा अभियुक्त मायाराम को घटनास्थल पर न पकड़े जाने के सुझाब से इनकार किया। इसके विपरीत अनुसंधानकर्ता एन०सी० यादव अ०सा० 04 अपने अभिसाक्ष्य में थाने पर माया को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में कथन नहीं करते बिल्क दिनांक 17.02.2012 को अर्थात् घटना से एक माह पश्चात् गिरफ्तारे करने के संबंध में कथन कर गिरफ्तारी पत्रक प्रणी० 07 बनाये जाने का कथन करते हैं। इस प्रकार से अभियुक्त मायाराम के घटनास्थल पर होने के संबंध में एवं थाने पर लाये जाने के संबंध में विरोधाभासी कथन अभिलेख पर हैं।

प्रकरण में अभियुक्त मायाराम की ओर से बचान लिया गया है कि वह तथा उसका पिता 15. दयाराम फरियादी जवानसिंह के यहां बंटाई पर खेती करते थे, लेकिन जब से उन्होंने बंटाई पर खेती करने से मना कर दिया तब से फरियादी ओर उसके परिवार वाले रंजिश मानने लगे। जवानसिंह अ०सा० ०१ को प्रतिपरीक्षण की कण्डिका ०८ में सुझाव दिया गया कि मायाराम या उसका पिता बंटाई पर खेती करते थे तो पहले साक्षी द्वारा इनकार किया गया फिर यह स्वीकार किया गया कि मायाराम का पिता कछवारी अर्थात सब्जी उगाने का काम करता है। उसकी जमीन उनके खेती के बगल में है। पानसिंह अ0सा0 03 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 03 में यह स्वीकार करते है मायाराम और उसके पिता पहले उनकी खेती बंटाई करते थे और करीब 20 साल से खेती करना बंद कर दिया है। साक्षी इस तथ्य से इनकार करता है कि मायाराम और उसके पिता जब खेती बंटाई व उगाई पर करते थे तब साक्षीगण हिसाब–किताब में गड़बड़ी करते थे। गजेन्द्र अ०सा० ०५ अपने अभिसाक्ष्य में मात्र मायाराम को पकड़ने का कथन करते हैं। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भैंसे चोरी करते हुए ले जाते हुए नहीं देखा। साक्षी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि मायाराम और उसके पिता ह ाटना से पहले खेती बंटाई पर करते थे और एक साल पहले मायाराम और उसके पिता ने खेती बंटाई पर करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से अभियोजन साक्षी जवानसिंह, अ०सा० ०1 पानसिंह अ०सा० ०३ तथा गजेन्द्र सिंह अ०सा० ०५ के अभिसाक्ष्य में अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त मायाराम द्वारा कृषि बंटाई से करने के संबंध में कभी तथ्य छुपाने का तथ्य स्वीकार करते हैं कभी 20 साल पहले खेती करना बंद कर देना का का कथन करते हैं, कभी एक साल पहले बंटाई के काम से

मायाराम और उसके पिता द्वारा मना कर देने का कथन करते हैं। इस प्रकार से प्रकरण में साक्षियों द्वारा मायाराम को लिप्त करने का प्रयास दर्शित हो रहा है।

- 16. इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी अभियुक्त द्वारा जो दिनांक 18.01.2012 को गिरफ्तार किया गया, उक्त अभियुक्तगण में से किसी के द्वारा कोई संस्वीकृति नहीं है कि अभियुक्तगण मायाराम और बंटी उनके साथ रहे हों। कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है जो कि इस तथ्य की पुष्टि करता हो कि उसने अभियुक्त किलयान व हल्के के साथ मायाराम को देखा हो और न ही ऐसा कोई तथ्य है कि उन्होंने मायाराम को भागते हुए देखा हो। जवानसिंह अ०सा० 01, पानसिंह अ०सा० 03 तथा गजेन्द्र सिंह अ०सा० 05 तीनों सगे भाई हैं और ग्राम धमसा से पर्रावन के बीच दिनांक 18.01.2012 को भैंसे पकड़ने जाने के संबंध में कथन करते हैं। फिर भी इनके द्वारा अभियुक्त मायाराम के संबंध में किये गये कथन परस्पर विरोधाभासी होने से अभियुक्त मायाराम के संबंध में विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्त मायाराम से कोई भी सम्पत्ति जब्त नहीं हुई है। ऐसी दशा में अभियुक्त मायाराम के संबंध में अभियोजन का मामला संदेहप्रत हो जाता है। अभियुक्त मायाराम संदेह के आधार पर मुक्त किये जाने का हकदार पाया जाता है।
- 17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त किलयान सिंह के विरूद्ध संहिता की धारा 379 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना पाया जाता है। अतः अभियुक्त किलयान को संहिता के धारा 379 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है। जबिक अभियुक्त मायाराम के संबंध में आरोप संदेह से परे प्रमाणित न होने से उसे संहिता के धारा 379 के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।
- **18.** अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। अभियुक्त कलियान को अभिरक्षा में लिया गया।
- 19. अभियुक्त कलियान के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्ववान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थिगत किया जाता है।

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

20. अभियुक्त कलियान एवं उनके विद्ववान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए उसे कम से कम दण्ड से दिण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

- 21. अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्त की आयु लगभग 27 वर्ष होना बतायी गई है। किन्तु प्रकरण लगभग 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित होने का तथ्य ध्यान देने योग्य है। अतः अभियुक्त कलियान को संहिता की धारा 379 के अधीन एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/— रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को एक माह का कारावास भुगताया जावे।
- 22. प्रकरण में जब्त शुदा संपत्ति भैस सुपुर्दगी पर है।
- 23. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।
- 24. अभियुक्त की निरोधावधि के संबंध में द०प्र०सं० की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया गया है। अभियुक्त की अभिरक्षा में बिताई गई अवधि सजा में मुजरा की जावे।
- 25. अभियुक्तगण हल्के एवं बंटी के संबंध में उनके फरार होने से स्थाई गिरफ्तारी वारंट यदि जारी न किये गये हो, तो अविलम्ब जारी किये जावे। प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखने जाने के लिए अंकित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ALLEN PAROLE SUNT

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश